II/निग0/रीवा/भू.रा0/2017/4953 (4)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल
ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

रावेन्द्र प्रताप सिंह पिता स्व0 लाल उपेन्द्र प्रताप सिंह साकिन बीड़ा थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)

———आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1— रामलोचन पिता रामविश्वास निवासी ग्राम बीड़ा तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

2— शासन म0प्र0

———अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0) के प्रकरण कमांक 89 अ—19/अपील/2016—17 आदेश दिनांक 22.09.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैं :—

क— यह कि प्रश्नाधीन आराजी नम्बर 1221/2/1 रकवा 0.97 ए0 मौजा/पटवारी हल्का बीडा तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 के भूस्वामी एवं आधिपत्यधारी एक मात्र निगरानीकर्ता दर्ज राजस्व अभिलेख है उपरोक्त आराजी निगरानीकर्ता की पैतृक

५

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक ।।।/निग0/2017/4753 जिला–रीवा

रावेन्द्र प्रताप सिंह/ रामसोच

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 89/अ–19/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य	